न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदनः– 12/2016 अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट.1955

अनवानः–

प्रार्थी

1 हरिराम पुत्र जोधाराम कौम विश्नोई निवासी भडकुंआ (हरियाली) तहसील सांचोर जिला जालोर

विप्रार्थीगण

1 बाबूराम पुत्र रामचन्द्र विश्नोई निवासी भडकुंआ (हरियाली) तहसील सांचोर जिला जालोर

2 व्यवस्थापक एस.बी.बी.जे. शाखा सांचोर

3 सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

वकील प्रार्थीः– श्री जालाराम पुनिया।

वकील विप्रार्थीगणः– श्री मानदास वैष्णव

निर्णय दिनांक 24.12.2019

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार पेश किया है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम भडकुआ पटवार मण्डल हरियाली उपखण्ड क्षैत्र साचोर में खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 1.00 हैक्टर खसरा नम्बर 35 रकबा 2.87 हैक्टर आया हुआ है। जिसमें खसरा नम्बर 36 में प्रार्थी की रहवासी ढाणी आयी हुई है। उक्त आराजी में भूतल का पानी खारा है जिससे सिचाई व फसल पिलाने के उपयोग का नही है। तथा पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नही है। उक्त खेत के नजदीक ही प्रार्थी का अन्य खेत खसरा नम्बर 1308 रकबा 1.55 हैक्टर आया हुआ है।उक्त खेत में 1308/2039 रकबा 0.01 हैक्टर भूमि गेर मुमकीन बेरा आया हुआ है। उक्त बेरे पर प्रार्थी का विधुत कृषि कनेक्शन भी लिया हुआ है। उक्त कुए में गहरा पानी है।तथा सिचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है।जिस पर स्थित उक्त कुए से पाईप लाइल डालकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 35 व 37 के खेतों की सिचाई अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 138 रकबा 3.24 हैक्टर में से 3 फीट गहराई में व 3 फीट चोडाई में भूमिगत पाईप लाईन डालकर प्रार्थी वर्षो से सिचाई करता आ रहा है। वर्तमान में उक्त पाईपलाईन पुरानी होने से सिचाई के उपयोग में नही लेने से प्रार्थी को अपने खेतों की फसल सिचाई करने में कठिनाई रहती है। जिससे अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 138 में से सिचाई हेतु पानी ले जाने हेतु भूमि की सतह से नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए निकटतम रूट से सुविधा की अत्यन्त आवश्यकता है। उक्त पाईपलाईन के अलावा प्रार्थी के खेतों की सिचाई के लिए अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। जिससे इसी पाईप लाईन बिछाने का अधिकार मन्जूर किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है ।

Scanned by CamScanner

उक्त पाईप लाईन बिछाने के खेतों की सिचाई किये जाने हेतु उपर्युक्त व सुविधाजनक पाईप लाईन है । उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के अलावा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त के खेतों को फसल सिचाई करने का निकटतम रूट का कोई विकल्प नही है। आवेदित स्थान की भूमि से प्रार्थी भूमिगत पाईपलाईन से वर्षो से सिचाई करता आ रहा है। लेकिन उक्त पाईपलाईन अप्रार्थी द्वारा तोडफोड करने व फेल होने से आपसी मुकदमेंबाजी होने से अभी अप्रार्थी उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से नई पाईपलाईन बिछाने से मना कर दिया है। तथा पाईपलाईन बिछाने हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बेठता है। जिससे भूमिगत पाईपलाईन बिछाने की अनुमति से उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है।

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के पास उक्त पाईपलाईन के अलावा अन्य कोई प्रार्थी के खेतों की सिचाई हेतु पानी ले जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है । प्रार्थी को अपने खेतों में फसल की सिचाई के लिए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से भूमिगत 3 फीट गहराई व 3 फीट चौडाई में पानी की पाईपलाईन बिछाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जिससे संलग्न नक्शें में परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त नक्शें का प्रार्थना पत्र का महत्वपुर्ण अंग माना जाकर साथ पढा जावे। प्रार्थी के उक्त आवेदित स्थान के पाईपलाईन के अभाव में फसल की सिचाई करने में असमर्थ है चुकिः प्रार्थी के स्थित खेतों का पानी बिलकुल खारा है। जिससे सिचाई करने में अनुपयोगी है । प्रार्थी की आजीविका उक्त खेतों की सिचाई कर खेती कर अपने परिवार की आजीविका चलाता है। अपने परिवार की उक्त खेती की आमदनी से पुरे परिवार का भरण पोषण कपडे लते दवाइयां खर्चा बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराता है। लेकिन उक्त खेतों का पानी खारा होने से खेती करने में असमर्थ होने से उक्त पाईपलाईन के अभाव में प्रार्थी के पूरे परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ है। लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने से मना कर दिया है। जिससे प्रार्थी भूमिगत पाईपलाईन बिछाने का अधिकार पाने का कानूनी हकदार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे आवेदित स्थान की भूमि से 3 फीट की गहराई एवं फीट की चौडाई से पानी ले जाने के लिए भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु निकटतम रूट सुविधा मन्जूर की जाकर नक्शाअनुसार प्रार्थी के समाविष्ट करने वाली इस भूमि के सम्बधं में अभिधृति निर्वापित की जाकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के उपयोग के रूप में अनुज्ञात किये जाने व अभिलिखित किये जाने का आदेश फरमावे ताकि उक्त भूमि पर पाईप लाईन बिछाने में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की बाधा कारित न करे। इस आशय का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 37 रकबा 1.00 हैक्टर खसरा नम्बर 35 रकबा 2.87 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 36

रकबा 0.14 हैक्टर सरहद मोजा भडकुआ में आया हुआ है। उक्त खेतों में प्रार्थी के पेयजल और सिचाई की सुविधा के लिए पूर्व में ही 2 पाईपलाईन आयी हुयी है जो मोके पर मोजूद तथा चालू है। प्रार्थी के उक्त खेतों में सिचाई और पेयजल के लिए पूर्व नर्मदानहर योजना पूर्ण नही थी। तथा भूजल खारा था तब प्रार्थी हरियाली सरहद में स्थित अपने खेत खसरा नम्बर 1308/2039 रकबा 0.01 हैक्टर बेरा से पाईपलाईन जहॉ पूर्व में प्रार्थी के खेतों के आवागमन के लिए पगडण्डीया चल रही थी वो पगडण्डीया उक्त खेत खसरा नम्बर 1308/2039 में से हरियाली के खेत खसरा नम्बर 1311 चुनीदेवी के खेत से होकर खसरा नम्बर 1312 जवानसिह के खेत से होकर आगे खसरा नम्बर 139 खोडा वगैरा के खेत में होकर खसरा नम्बर 41 भगवानाराम के खेत से खसरा नम्बर 39 रामलाल के खेत में होकर प्रार्थी के खेत में स्थित ढाणी पर जा रही है। दुसरी पाईपलाइन प्रार्थी ने भडकुआ में खेत खसरा नम्बर 72 जो प्रार्थी के नाम से है वहा से सीधे रास्ते रास्ते अपनी ढाणी में ली हुई है। दोनो पाईपलाइन आज भी मौके पर मोजुद है। उपयोग में ली जा रही है। इसके अलावा उक्त हरियाली के खेत खसरा नम्बर 1308 तथा भडकुआ के खेत खसरा नम्बर 35,36,37 में नर्मदा विभाग ने सिचाई के लिए दोनों गावों में वितरिकाओं का निर्माण पुरा करके बून्द बून्द सिचाई के लिए प्रार्थी के खेतों में नर्मदा विभाग की पाईपलाइन और डिग्गी बनाकर कुडी बनाकर सिचाई आरम्भ करदी है । मौके पर आज भी नर्मदा के पानी से सिचाई की जा रही है। तथा नर्मदा की सिचाई से प्रार्थी के खेतों में फसले खडी है। नर्मदा नहर की पाईपलाइन डिग्गी कुडी और वितरिका का नक्शा जवाब के साथ सलंग्न है। प्रार्थी ने जानबुझकर मुझ अप्रार्थी को परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र बिना आधार और मनगढंत तथ्यों के आधार पर लाने से प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो काबिल खारीज है। प्रार्थी माननीय न्यायालय में क्लीन हेड नही आया है। तथा प्रार्थी ने माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी को हेरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पाईपलाइन का पेश किया है। जो काबिल खारीज है। प्रार्थी के खेत की जमाबन्दी मुझ अप्रार्थी के खेत की जमाबन्दी तथा नर्मदा नहर के वितरिका डिग्गी कुडी पाईलाइन की स्थिति नक्शा की प्रति जवाब के साथ संलग्न है। खसरा नम्बर 1311 खेत प्रार्थी ने अपनी पत्नी चुनी के नाम बाद में खरीदा है । जब से नर्मदा नहर वितरिका का काम पुरा होने के बाद डिग्गीया ,पाइपलाईन कुडी बनने से प्रार्थी के खेतों में सिचाई हो रही है। मौके पर फसलें आज भी सिंचित है। अप्रार्थी के खेत में बिना कारण खसरा नम्बर 138 में पाइपलाईन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो बिना आधार का होने से काबिल खारीज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए जहॉ पर प्रार्थी के खेत में सिचाई का अन्य कोई साधन उपलब्ध नही होने पर लागू होती है। जबकी मौके पर प्रार्थी के खेतों में दो पाईपलाइन मोजूद है जो उपयोग में ली जा रही है। तथा पूरा क्षेत्र नर्मदा नहर से सिचित है। प्रार्थी द्वारा महज परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो काबिल खारीज है। ऐसी सुरत में विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरित किसी भी काश्तकार को खेत से पाईपलाईन दिया जाना अनुचित है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 35,36,37 में दो पाईपलाइन चल रही है। नर्मदा से प्रार्थी के हरियाली खेत खसरा नम्बर 1308 और भडकुआ के खेत खसरा नम्बर 35,36,37 सिचिंत हो रहे है। भडकुआ के खेतों में एक पाइपलाइन 1308/2039 और दुसरे भडकुआ के खेत खसरा नम्बर 72 में पाइपलाइन से पेय जल आपूर्ति आरम्भ है । जिससे न तो प्रार्थी को सिचाई के लिए पानी की आवश्यकता है और न ही पेयजल के लिए आवश्यकता है।

अतः प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बिना आधार तथ्यों से परे और बेबुनियाद होने से खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ जमाबन्दी सवतं 2069–72 खाता संख्या 77 जमाबन्दी 2070–73 खाता संख्या 486 जमाबन्दी सवत 2070–73 खाता संख्या 108 खाता संख्या 142 खाता संख्या 9 खाता संख्या 46 खाता संख्या 60 खाता संख्या 74 खाता संख्या 72 नक्शा नर्मदा केनाल नक्शा ट्रेस किशतवार प्रथम सूचना रिपोट अन्तिम रिपोर्ट फार्म पेश किये।

दिनांक 27.1.2017 को तहसीलदार से प्रथम मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम हरियाली में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1308/2039 में बेरा सिचाई के लिए बना हुआ है इससे खसरा नम्बर 1308 में सिचाई की जाती है। इस बेरे से ग्राम भडकुआ के खेत खसरा नम्बर 35,36 में फसल की सिचाई हेतु भूमिगत पाइपलाइन की मांग की गई है। मौके पर पुर्व में पाइप लाइन डालना बताया लेकिन बाबूराम वगैरा से अनबन होने से निकाल दी गई है। वर्तमान में वैकल्पिक तौर पर पाइप लाइन खुली अन्य खेतों में से लेकर खसरा नम्बर 35 व 37 फसल की सिचाई की जा रहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि में पाइपलाइन की दुरी कम व सुविधाजनक है।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर मौका रिपोर्ट पर आपत्ति की एंव दिनांक 11.12.2017 को पुनः मौका रिपोर्ट के आदेश दिये गये जिसकी पालना में दिनांक 23.1.2018 को पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो प्रार्थी व अप्रार्थी वकील मानदान वेष्णव के रूबरू मौका देखकर तैयार की गई। मौका रिपोट के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी आपस में भतीजा व चाचा है। तथा प्रार्थी की खातेदारी खेत 1308 में एक बेरा खसरा नम्बर 1308/2039 बना हुआ है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा पास के खातेदारों से प्रार्थना कर खुली पाइपलाइन डाली हुयी है। जबकि मौका स्थिति व नजरी नक्शें के अनुसार प्रार्थी के गांव हरियाली के खेत खसरा नम्बर 1308/2039 बेरा से अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 138 में से होकर पाइप लाइन निकाला जाना नजदीकतम है तथा उचित है क्योंकि पुर्व में इसी जगह पाइप लाइन डाली हुई थी जो की आपसी मनमुटाव से अप्रार्थी द्वारा निकाल दी गई है। पास के खेतों से होकर ले जाना एक तो दूर पडता है दूसरा अन्य जाति के होने से तथा पुर्व में बाबूराम के खेत में से पाइपलाइन डाली हुई होने से अस्थाई पाइप लाइन अन्य जगह से निकाली गई है।

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी द्वारा पुनः मौका देखने का प्रार्थना पत्र दिनांक 4.12.19 को पेश किया गया जिससे 4.12.19 को ही दो बार पूर्व में मौका देख लेने एंव प्रार्थना पत्र के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब कारित होने से खारीज किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 1308/2039 रकबा 0.01 हैक्टर भूमि गैर मुमकीन बेरा से अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 138 से होकर 3 फीट की गहराई व 3 फीट की चौडाई में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने हेतु जिससे अपने सडक के दूसरे और स्थित खेत खसरा नम्बर 35 व 37 की सिचाई कर सके। प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी के अनुसार व पूर्व में यही से पाइपलाइन डालकर अपने खेत की सिचाई करता रहा है। अतः पाइपलाइन का प्रार्थना पत्र स्वीकारणीय है।

अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थी के पुर्व खेत खसरा नम्बर 35,36,37 खेत की सिचाई व पेयजल के लिए अन्य के खेत से होकर पाइपलाइन आयी हुई है। तथा खसरा नम्बर 35,36,37 हेतु नर्मदा नहर की डिग्गी से सिचाई की व्यवस्था उपलब्ध है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज करने योग्य है।

दोनो पक्षकारों द्वरा प्रमाण पत्र सरपंच अपने अपने पक्ष में प्रस्तुत किये है। प्रार्थी के पक्ष में प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार खेत खसरा नम्बर 35 व37 में भूतल का पानी खारा है। इस कारण खसरा संख्या 1308 में से उक्त की सिचाई हेतु खसरा संख्या 138 में से पाइपलाइन डाली हुयी थी। जिससे अब आपसी विवाद कारण बन्द कर दिया है।

अप्रार्थी के पक्ष में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार जोधाराम प्रार्थी ने अपने खेत ढाणी में पानी की सुविधा के लिए खसरा सख्या 1308 से एक पाइपलाइन 1311,1312 व 139 से होकर ली हुई है। तथा दुसरी पाइपलाइन भडकुआ के खेत खसरा संख्या 72 से इन्ही खेतों में ली हुइ है। वर्तमान में मौके पर चल रही है।

बहस व जवाब में अप्रार्थी द्वारा पाइपलाइन न डाले जाने के सम्बधं में मुख्य तर्क यह दिया है कि नर्मदा परियोजना के डिग्गी नम्बर 20 प्रार्थी के खेत के पास स्थित है। खसरा नम्बर 72 में ट्युबवेल है जहा से पाइपलाइन डाली हुई है।

प्रार्थी के अनुसार उसके खेत खसरा नम्बर 35,37 में भूतल का जल खारा है तथा खसरा संख्या 138 से होकर पाइपलाइन डालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके खेत खसरा संख्या 1308/2039 गैर मुमकीन बेरे से सिचाई हेतु सबसे नजदीक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार आवेदक जो भूमि को धारित करता है को लघुतम या निकटतम रूट से दर्शित या सीमांकित लाइन के साथ साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाइपलाइन बिछाने के प्रार्थना पत्र को मन्जुर किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 35,36 भूतल का जल खारा है बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने भी यह तथ्य स्वीकार है अतः उक्त खेत खसरा संख्या की सिचाई के लिए उसे अन्य स्थान से व्यवस्था जरिये पाइपलाइन ही की जानी है।

प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों से भी यह स्पष्ट है प्रार्थी को अपने खेत की सिचाई हेतु पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता है और खसरा नम्बर 35 व 37 की सिचाइ वर्तमान में भी पाइपलाइन से की जा रही है। अप्रार्थी ने भी यह बात अपने जवाब में स्वीकार की है।

रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 27.01.2017 व 3.01.2018 के अनुसार पुर्व में पाइपलाइन खसरा संख्या 138 से होकर गुजरती थी जिसे मनमुटाव बाद अप्रार्थी द्वारा बन्द किया गया प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 35,37 व खसरा संख्या ढाणी 36 में पानी की आपुर्ति हेतु प्रार्थी के खसरा संख्या 1308/2039 गैर मुमकीन बेरा जो प्रार्थी के खसरा संख्या 1308 में स्थित है। पाइपलाइन उक्त खसरा की सिचाई हेतु नजदीकतम व सुविधाजनक होगी।

अप्रार्थी का यह तर्क की डिग्गी संख्या 20 प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 35 व 37 के पास स्थित है एंव सिचाई हेतु साधन उपलब्ध है भी इस कारण स्वीकारणीय नहीं है क्योंकि डिग्गी में पानी की आपूर्ति नर्मदा नहर में पानी की आपूर्ति पर निर्भर करती है। यदि प्रार्थी अपने खेत में सिचाई हेतु अतिरिक्त साधन विकसित करना चाहता है तो वह कर सकता है।

अतःउपलब्ध साक्ष्यों पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता के मध्य नजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है । उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11/16 वास्ते रास्ते होकर खसरा नम्बर 138 अप्रार्थीगण निर्णय दिनांक 24.12.19 को ही स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते पाइपलाइन बिछाने का स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय प्रार्थना पत्र 11/16 में स्वीकृत रास्ते के समानान्तर भूमि में 3 फीट गहराई पर पाइपलाइन बिछाने के आदेश निम्न शर्तो के अध्ययधीन दिये जाते है।

1 तहसीलदार साचौर रास्ते हेतु स्वीकृत भूमि निर्णय दिनांक 24.12.19 प्रकरण संख्या 11/16 में स्वीकृत रास्ते समानान्तर व खेत खसरा संख्या 138 में मध्य पाइपलाइन बिछाने हेतु आवश्यक भूमि 3 फीट चौडाई में का सर्वे कर प्रभावित कुल भूमि का रकबा क्षैत्रफल मय नजरी नक्शा 7 दिवस में न्यायालय में पेश करेगें।

2 प्रभावित भूमि के कुल रकबे की निर्णय दिनांक को प्रचलित डीएलसी दर के अनुसार कीमत गणना कर उसकी दस प्रतिशत राशि का निर्धारण भी अपनी सर्वे रिपोर्ट में करेगें। जिससे प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की गणना अलग अलग की जायेगी।

3 सर्वे रिपोर्ट में प्रभावित भूमि में आने वाली फसल आदि में होने वाले नुकसान की गणना कर राशि का निर्धारण करेगें।

4 वक्त सर्वे प्रभावित भूमि का निर्धारण करते वक्त कोई बडे निर्माण आदि आस्तियां आने पर उस बचाते हुए पाइप लाइन बिछाने हेतु भूमि का निर्धारण करेगें।

Scanned by CamScanner

5 प्रार्थी सर्वे अनुसार सम्पुर्ण राशि तहसीलदार को राशि निर्धारण के उपरान्त 7 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करेगां। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जायेगा कि विप्रार्थी को क्षतिपुर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इनकार करता है तो तहसीलदार इस राशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

6 पाइप लाइन बिछाने हेतु दर्शित क्षेत्र की प्रभावित भूमि अप्रार्थी के खातेदारी में बनी रहेगी परन्तु अप्रार्थी भविष्य में इस पाइप लाइन के रख रखाव आदि के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नही करेगा।

उक्त शर्तो की पालना के अध्यायधीन ही प्रार्थी को 3 फीट गहराई व 3 फीट चौडाई में भूमिगत पाइप लाइन खसरा नम्बर 138 से होकर बिछाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार साचोर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर, साचोर
सहायक कलेक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी, साचोर)
उपखण्ड अधिकारी साचोर

सहायक कलेक्टर-साचोर जिला जालोर (राज.)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.01.01 17:01:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: